(d) whether CBI has raided the residences of other officials in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND): (a) to (d) Yes, Sir. Central Bureau of Investigation (CBI) has registered a criminal case under P.C. Act, 1988 and IPC.

नए पैट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर समिति

3433. **श्री महेश्वर सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी मंजूरी दिए जाने हेतु नए पैट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों की सिफारिश करने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के गठन से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि अभी तक कोई समिति गठित नहीं की गई है, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इन समितियों को कब तक गठित किये जाने की संभावना है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) सरकार ने राज्यवार/क्षेत्रवार तेल चयन बोर्डों का गठन करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक तेल चयन बोर्ड में तीन सदस्य होंगे। उच्च न्यायालय का सेवा-निवृत्त न्यायाधीश इनका अध्यक्ष होगा। अन्य दो सदस्य जनता के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जिसमें से एक कमजोर वर्ग का प्रतिनिधि शामिल है।

Maharashtra Government Proposal for Utilisation of Off-Shore Gas

3434. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to refer to the reply to the Starred Question No. 411 given in the Rajya Sabha on 5th August, 1992 and state:

(a) whether Government have examined to proposal received from Maharashtra Government to bring 30 MMSCMD of gas to a new land fall point of Usar;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) if not, the reason for the delay?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) Government has approved, in principle, the concept of a gas pipeline from the Western Offshore to the Southern Region from a suitable landfall point on the Western Coast.

(c) Does not arise.

रसोई गैस वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण

3435. **श्री कामेश्वर पासवान : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस वितरकों द्वारा किये जा रहे उपभोक्ताओं के शोषण को समाप्त करने तथा उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु क्या उपाय किये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि रसोई गैस का नया कनेक्शन चाहने वाले उपभोक्ताओं को उनके सम्बद्ध वितरकों द्वारा उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि वे गैस का चूल्हा उन्हीं की दुकान से खरीदें, जो कि खुले बाजार में उपलब्ध गैस चुल्हे की अपेक्षा मंहगा होता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इंडियन आयल कारपोरेशन के एक वितरक, मैसर्स पार्वती गैस सर्विस, सिवान, बिहार, जिसके विरूद्ध बहुत सी गंभीर शिकायतें लम्बित हैं, के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु रसोई